राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

बीना काक, पर्यटन मंत्री भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल-स्थानीय निकाय) सदन की मेज पर रखेंगी ।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-15)

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान वित्त विधेयक, 2009

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।"

राजस्थान वित्त विधेयक, 2009
(2009 का विधेयक संख्या-14)

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 27 जुलाई, 2009